

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 542

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2025-03175

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "वकरन्गी मिडॉस (फेस-1)", प्रमोटर-वकरन्गी डेव्हलपर्स,
द्वारा-श्री राजेश शर्मा, पता-073/075, गोल्डन पार्क, व्ही.आई.पी. एस्टेट,
विधानसभा रोड, जिला-रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-" वकरन्गी मिडॉस (फेस-1)" पता-कोबिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/05/2026	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.03.2026 को अनावेदक के विरुद्ध रुपये 50,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे अनावेदक द्वारा ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 21.04.2026 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन की विस्तारण तिथि 20.05.2025 से 31.03.2027 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर जारी किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	